न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या–101/2022

राज्य

बनाम्

प्रकाश नारायण

–: आदेश :–

28/03/23

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 1949/अप0शा0 दिनांक 15.09.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

यह वाद बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–47/2022 दिनांक–14.03.2022 से संबंधित है। कांड में जप्त हाईवा रजि0 संख्या–JH02AX-1373 को राजसात करने के लिए प्रस्ताव समर्पित किया गया।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि यह काण्ड वादी सूर्यदेव रविदास सहायक सुरक्षा अवर निरिक्षक, मगध कोल परियोजना के लिखित आवेदन के आधार पर बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–47/2022 दिनांक–14.03.2022 दर्ज किया गया। सूर्यदेव रविदास सहायक सुरक्षा अवर निरिक्षक, मगध कोल परियोजना के द्वारा दिनांक 13.03.2022 को समय करीब 08:00 बजे रात्रि में मगध कोल परियोजना के 17 नम्बर कांटा के पास कांटाघर के विपरित उत्तर दिशा में लगभग 21 टन अवैध कोयला लदा एक बारह चक्का हाईवा मगध कोल परियोजना के सुरक्षा पेट्रोलिंग द्वारा पकड़ी गयी है, जिसका रजि0 नं0–JH02AX-1373 चेचिस नं0–MBIVADHD4JPXF6591 एवं इंजन नं0–JXPZ146757 है। उक्त हाईवा के चालक और मालिक को काफी देर तक इंतजार किया गया, परन्तु उक्त हाईवा के चालक या मालिक वहां उपस्थित नहीं हुए। तब वहां उपस्थित अन्य व्यक्तियों से उक्त हाईवा के संबंध में पूछ–ताछ किया गया, परन्तु किसी के द्वारा कुछ नहीं बतया गया और न ही उसका मालिक उपस्थित हुआ। हाईवा में लोड लगभग 21 टन कोयला से संबंधित कोई भी वैध कागजात प्राप्त नहीं हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि हाईवा में लदा कोयला अवैध है। तत्पश्चात उक्त कोयला लदे

हाईवा को अमरवाडीह पुलिस पिकेट प्रभारी पु0अ0नि0 धिरज कुमार के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे जप्त कर अमरवाडीह पुलिस पिकेट में सुरक्षार्थ रखा गया। उक्त काण्ड में जप्त हाईवा रजि0 नं0–JH02AX-1373 को राजसात करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी को पक्ष रखने के लिए बार–बार नोटिस निर्गत कर निबंधित डाक से तामिला कराया गया तथा निर्गत नोटिस को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। जप्त हाईवा रजि0 नं0–JH02AX-1373 के वाहन स्वामी प्रकाश नारायण, पे0–बिजली साव, ग्राम–नियर एस0एस0भी0एम0 स्कूल, थाना–माण्डु, जिला–हजारीबाग द्वारा नोटिस प्राप्त करने के बाद भी उपस्थित होकर पक्ष रखने में अभिरूची नहीं लिया गया। फलस्वरूप वाद को एकपक्षीय करते हुए राज्य की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वाद की सुनवाई की गयी।

"The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(V) में उल्लेखित है कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court."

उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट होता है कि काण्ड में जप्त हाईवा रजि0 नं0–JH02AX-1373 के द्वारा कोयला का अवैध परिवहन किया गया है। अतः जप्त हाईवा रजि0 नं0–JH02AX-1373 को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार वाहन की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार राजसात वाहन का निलामी की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बालूमाथ थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, पुलिस अधीक्षक एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.04.21 14:18:15 +05:30
Location: 10.93.47.5

28/03/-

उपायुक्त,
लातेहार।

28/03/-

उपायुक्त,
लातेहार।